

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, बड़ागाँव, वाराणसी।

पत्रांक - 269 / लेखा-विविध/ई-टेंडर/क्षे0पं0/2026-27

दिनांक 15 मई 2026

ई-टेंडर निविदा सूचना

पंचम राज्य/केन्द्रीय वित्त योजना अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों का कार्यों योजना वर्ष 2025-26 में स्वीकृत की गयी है उक्त कार्य को वर्ष 2026-27 में कराया जाना प्रस्तावित है जिसका विवरण नीचे अंकित है पंचम राज्य/केन्द्रीय वित्त अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत बड़ागाँव में कराये जाने वाले कार्यों के सामग्री हेतु आपूर्ति वाणिज्यकर विभाग में पंजीकृत फर्म/जी0एस0टी0/आयकर में पंजीकृत फर्मों द्वारा वर्ष 2026-27 हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। आपूर्तिकर्ता आपराधिक पृष्ठभूमि का न हो तथा पूर्व में ब्लैक लिस्टेड न किया गया हो। ऐसे आपूर्तिकर्ता निविदा में भाग ले सकते हैं। निविदा फार्म दिनांक 18.05.2026 प्रातः 10:00 बजे से 25.05.2026 तक अपराह्न 12:30 बजे (कार्य दिवस में) तक ऑनलाइन अपलोड किया जा सकता है एवं निविदा दिनांक 25.05.2026 को अपराह्न 4.00 बजे ऑनलाइन खोली जायेगी। निविदा से सम्बन्धित समस्त जानकारी <http://etender.up.nic.in> पर देखी जा सकती है। जिसका विवरण निम्नवत है।

क0स0	विवरण	समय सारणी
1	निविदा प्रपत्र ऑनलाइन अपलोड करने की तिथि	18.05.2026
2	निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि	25.05.2026 को 4.00 बजे
3	निविदा प्रपत्र का मूल्य	1000.00(मु0 एक हजार रुपया मात्र)/यूनियन बैंक-बड़ागाँव IFSC-UBIN0536075 खाता संख्या-360702010020057 में ऑनलाइन जमा करें।
4	निविदा प्रपत्र के लिए जमानत धनराशि	300000.00(मु0 तीन लाख रुपया मात्र) एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0/के0वी0पी0 खण्ड विकास अधिकारी बड़ागाँव के पक्ष में बंधक होगा।
5	अर्नेस्ट मनी	20000.00(मु0 बीस हजार रुपया मात्र)/का डी0डी0 जमा करना अनिवार्य होगा।/यूनियन बैंक-बड़ागाँव IFSC-UBIN0536075 खाता संख्या-360702010020057 में ऑनलाइन जमा करें।

क0 सं0	योजना का नाम	कार्य का नाम	संख्या/मात्रा	अनुमानित लागत (लाख में)
1	प0रा0/के0वि0 योजना	विकास खण्ड बड़ागाँव में विभिन्न स्थानों पर सोलर वाटर पम्प अधिस्थापन कार्य	02 अदद	9.98
2	प0रा0/के0वि0 योजना	विकास खण्ड बड़ागाँव में विभिन्न स्थानों पर सोलर वाटर पम्प अधिस्थापन कार्य	02 अदद	9.98
3	प0रा0/के0वि0 योजना	विकास खण्ड बड़ागाँव में विभिन्न स्थानों पर सोलर वाटर पम्प अधिस्थापन कार्य	01 अदद	4.95
4	प0रा0/के0वि0 योजना	विकास खण्ड बड़ागाँव में विभिन्न स्थानों पर सोलर वाटर पम्प अधिस्थापन कार्य	01 अदद	4.95
5	प0रा0/के0वि0 योजना	विकास खण्ड बड़ागाँव में विभिन्न स्थानों पर सोलर वाटर पम्प अधिस्थापन कार्य	01 अदद	4.95
6	प0रा0/के0वि0 योजना	विकास खण्ड बड़ागाँव में विभिन्न स्थानों पर सोलर वाटर पम्प अधिस्थापन कार्य	01 अदद	4.95
7	प0रा0/के0वि0 योजना	विकास खण्ड बड़ागाँव में विभिन्न स्थानों पर सोलर वाटर पम्प अधिस्थापन कार्य	01 अदद	4.95
8	प0रा0/के0वि0 योजना	विकास खण्ड बड़ागाँव में विभिन्न स्थानों पर सोलर वाटर पम्प अधिस्थापन कार्य	01 अदद	4.95
9	प0रा0/के0वि0 योजना	विकास खण्ड बड़ागाँव में विभिन्न स्थानों पर सोलर वाटर पम्प अधिस्थापन कार्य	01 अदद	4.95

निविदा की शर्तें-सेलगेन है।

खण्ड विकास अधिकारी
बड़ागाँव, वाराणसी।

पत्रांक /दिनांकित।


प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सम्पादक हिन्दुस्तान, आज, राष्ट्रीय एकता, दैनिक जागरण, वाराणसी समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञापन अपने दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हुये बिल भी कार्यालय में दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।
- 2- कय समिति के सदस्य (स0वि0अ0-सां0 स0वि0अ0 कृषि, अवर अभियन्ता आर0ई0डी0) लेखाकार विकास खण्ड बड़ागाँव को इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त तिथि को ससमय उपस्थित रहकर टेंडर की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 3- सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
- 4- जिलाधिकारी महोदय वाराणसी की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

15/5/26
खण्ड विकास अधिकारी
बड़ागाँव, वाराणसी।

निविदा की शर्तें-

1. निविदा पर निविदादाता के स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से हस्ताक्षर एवं पता होना आवश्यक है।
2. निविदादाता का वाणिज्य कर विभाग में पंजीयन होना आवश्यक है निविदा प्रपत्र के साथ पंजीकरण की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. निविदा प्रपत्र के साथ चरित्र प्रमाणपत्र की छायाप्रति करना अनिवार्य है।
4. सफल निविदादाता को निर्धारित समय के अन्दर आदेशानुसार सामग्री अच्छे क्वालिटी की आपूर्ति कराना होगा तथा सन्तोषजनक कार्य न कराने तथा शर्तों का उलंघन करने पर धरोहर की धनराशि जब्त कर लिया जायेगा तथा वैधानिक कार्यवाही किया जायेगा।
5. किसी भी निविदा को आंशिक या पूर्णरूप से बगैर कारण बताये स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार खण्ड विकास अधिकारी बड़ागाँव वाराणसी के पास सुरक्षित होगा।
6. खण्ड विकास अधिकारी बड़ागाँव वाराणसी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
7. किसी भी प्रकार के विवाद होने की दशा में खण्ड विकास अधिकारी बड़ागाँव वाराणसी का अन्तिम निर्णय निविदादाता को मान्य होगा।
8. आपूर्ति फर्म को पैन नम्बर, जी0एस0टी0 नम्बर की छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
9. आपूर्तिकर्ता फर्म को वाणिज्य कर(जी0एस0टी0), आयकर नियमानुसार समय समय पर जमा करना होगा, जमा प्रमाण पत्र की रशीद कार्यालय में जमा करना होगा।
10. जो दरे प्रस्तुत किया जाय उसमें बैट, आयकर, रायल्टी/कन्वर्जन चार्ज तथा अन्य टैक्स जोडकर प्रस्तुत किया जाये।
11. भूगतान की जाने वाली धनराशि से नियमानुसार सम्बन्धित टैक्स की कटौती की जायेगी।
12. ई-टेंडर भरने के उपरान्त प्रमाणित छायाप्रति कार्यालय में बन्द लिफाफे में देना अनिवार्य होगा।
13. सामग्री की आपूर्ति दर लोक निर्माण विभाग के अनुमन्य दर के अनुसार स्वीकार की जायेगी।
14. कार्य तीन माह के अन्दर प्रत्येक दशा में पूर्ण करना अनिवार्य है।


 15/5/26
 खण्ड विकास अधिकारी
 बड़ागाँव, वाराणसी।